न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– *श्री महेश चन्द्र मान आर. ए. एस.*

अपील सं0	तारीख रजू	तारीख निर्णय
5/ /19	15.02.2019	16.08.2019

उनवान

1. पप्पूराम पुत्र श्री मंगतूराम जाति गुर्जर निवासी कमालपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

................अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत केसरोली जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत केसरोली।

...............रेस्पाडेन्ट

(अपील अर्न्तगत धारा 75 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम, विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत ~~बिछवाई~~ केसरोली दिनांक 20.07.2001, ई0 नं0 550)

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री जगदीशचन्द सतीजा एडवोकेट– अपीलान्ट

2. श्री राकेश यादव एडवोकेट– रेस्पाडेण्ट

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलोच्य आदेश दिनांक 20.07.2001 का है, जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर दिनांक 05.02.2019 को तब हुई जबक अपीलान्ट द्वारा पैमाईश का विवाद होने के कारण पटवारी से सम्पर्क स्थापित किया तो पटवारी हल्का ने जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 331 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा जिसका हाल नम्बर 751 रकबा 0.65 हैक्ट0 कायम हुआ है, को मृतक अर्जुनराम के वारिसों में मिन अपीलान्ट का नाम इस आराजी बाबत दर्ज नही हुआ है, जिस पर राजस्व अभिलेख का अवलोकन कर नकल हेतु दिनांक 06.02.19 को नकल हेतु आवेदन किया, जो नकल दिनांक 07.02.2019 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात आज बिना देरी के अपील जानकारी की तारीख से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। रफा–ए–हुज्जत दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। मृतक

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

अर्जुन पुत्र हरचन्द जाति गुर्जर, जो रिश्ते में अपीलान्ट के नानाजी थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उन्होनें अपने जीवनकाल में एक प्रथम व अन्तिम पंजीकृत वसीयत दिनांक 27.05.2000 को अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित की थी, जिनकी विवादित आराजी, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, के अलावा खसरा नम्बर साबिक 326 व 329 भी थी, जिसका आलोच्य आदेश मुताबिक इन्तकाल मिन अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक हो चुका है। अपीलान्ट इस विश्वास में था कि उक्त आराजी भी, जो मृतक अर्जुन के नाम से दर्ज की थी, की विरासत भी अपीलान्ट के नाम दर्ज है और आज से पूर्व राजस्व रिकार्ड की जरूरत ही नही पडी। इस कारण से ये जानकारी नही हो सकी उक्त आराजी को मिन अपीलान्ट को नाम दर्ज नही किया गया है। जबकि उक्त आराजी के सम्बन्ध में कोई विवाद नही था। आलोच्य आदेश से ये भी स्पष्ट नही है कि विवादित आराजी की विरासत अपीलान्ट के नाम क्यों दर्ज व स्वीकृत नही की गई है। आलोच्य आदेश आराजी खसरा नम्बर 331 मिन रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के अलावा विधि विरूद्ध मनमाना, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया हैं

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश ग्राम पंचायत केसरोली बाबत इन्तकाल सं0 550 दिनांक 20.07.2001 वाके ग्राम गोलेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर को खसरा नम्बर 331 मिन रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा जिसका हाल नम्बर 751 रकबा 0.65 हैक्ट0 कायम हुआ है, को सम्मलित करते हुए संशोधित इन्तकाल विरासत दर्ज मंजूर कराया जावे। दीगर सूरत में पृथक से उक्त आराजी की विरासत बाबत इन्तकाल अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज मंजूर किये जाने की आज्ञा सादिर की जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रेस्पा0 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पा0 की ओर से दिनांक 14.06.2019 को सरपंच ग्राम पंचायत केसरोली उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु समय चाहा गया। तत्पश्चात उपस्थित नही हुए। रेस्पा0 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में इन्तकाल सं0 550 दिनांक 20.07.2001, जमाबन्दी सम्वत 2052 तथा वसीयतनामा दिनांक 27.05.2000 की प्रमाणित प्रतियां पेश की।

अपीलान्ट के विद्वान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि मृतक अर्जुन पुत्र हरचन्द जाति गुर्जर, जो रिश्ते में अपीलान्ट के नानाजी थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उन्होनें अपने जीवनकाल में एक प्रथम व अन्तिम पंजीकृत वसीयत दिनांक 27.05.2000 को अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित की थी, जिनकी विवादित आराजी के अलावा खसरा नम्बर साबिक 326 व 329 भी थी, जिसका आलोच्य आदेश मुताबिक इन्तकाल अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक हो चुका है। अपीलान्ट इस विश्वास में था कि उक्त आराजी भी, जो मृतक अर्जुन के नाम से दर्ज की थी, की विरासत भी अपीलान्ट के नाम दर्ज है और आज से पूर्व राजस्व रिकार्ड की जरूरत ही नही पडी। इस कारण से ये जानकारी नही हो सकी उक्त आराजी को अपीलान्ट को नाम दर्ज नही किया गया है। जबकि उक्त आराजी के सम्बन्ध में कोई विवाद नही था। आलोच्य आदेश से ये भी स्पष्ट नही है कि विवादित आराजी की विरासत अपीलान्ट के नाम क्यों दर्ज व स्वीकृत नही की गई है। आलोच्य आदेश आराजी खसरा नम्बर 331 मिन रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के अलावा विधि विरूद्ध मनमाना, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का अध्ययन किया तथा अपीलान्ट के विद्धान वकील की बहस पर मनन करने से विदित है कि मृतक अर्जुन पुत्र हरचन्द जाति गुर्जर ने अपने जीवनकाल में एक प्रथम व अन्तिम पंजीकृत वसीयत दिनांक 27.05.2000 को अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित की थी, जिनकी विवादित आराजी के अलावा खसरा नम्बर साबिक 326 व 329 भी थी, जिसका आलोच्य आदेश मुताबिक इन्तकाल अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक हो चुका है। अपीलान्ट इस विश्वास में था कि उक्त आराजी भी, जो मृतक अर्जुन के नाम से दर्ज की थी, की विरासत भी अपीलान्ट के नाम दर्ज है। लेकिन उक्त आराजी को अपीलान्ट के नाम दर्ज नही किया गया है। जबकि

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

उक्त आराजी के सम्बन्ध में कोई निशान नही था। आलोच्य आदेश से ये भी स्पष्ट नही है कि विवादित आराजी की विरासत अपीलान्ट के नाम क्यों दर्ज व स्वीकृत नही की गई है। आलोच्य आदेश आराजी खसरा नम्बर 331 मिन रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के अलावा विधि विरूद्ध मनमाना, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है एवं इन्तकाल सं0 550 दिनांक 20.07.2001 ग्राम पंचायत केसरोली तहसील रामगढ निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनकर, वारिसान की विस्तृत जांच कर 20 दिवस में नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज कर पालना से अवगत करावें। निर्णय प्रति तहसीलदार रामगढ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.08.19

(महेश चन्द्र मान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner